

**Establishment of Maulana Azad
Urdu University**

4516. SHRI K. RAHMAN KHAN: will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any progress has been made towards establishment of the Maulana Azad Urdu University; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) The process for appointment of the first Vice-Chancellor and the Registrar has already been set in motion.

भारत में विदेशी छात्रों को दाखिले की अनुमति

4517. श्री अजीत जोगी :

डा. जगन्नाथ मिश्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षा केन्द्रों में विदेशी छात्रों को दाखिले की अनुमति देती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या इन छात्रों हेतु कोई आरक्षण कोटा है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित सभी पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों के प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/सांविधिक निकाय की निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं :-

(i) सभी विषयों में पी.एच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान में प्रवेश के लिए किसी विदेशी छात्र को भारत सरकार से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त करना चाहिए।

(ii) सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों में अवर स्नातक स्तर पर कुछ संख्या में स्थान विदेश मंत्रालय के अधीन निपटान के लिए रखे जाते हैं। गैर-सहायता वाली प्राइवेट संस्थाओं में विदेशी छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश सीधे संबंधित संस्थानों द्वारा उनकी स्वीकृति दाखिल क्षमता के 5 प्रतिशत तक दिया जाता है जिसके लिए छात्र को संस्थान के माध्यम से सरकार से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त करना होता है।

(iii) कृषि मंत्रालय द्वारा अभिशासित पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों को प्रायोजित अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेश दिया जाता है और उन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा नामित अभ्यर्थियों के रूप में माना जाता है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का विकास

4518. श्री ईश दत्त यादव :

श्री नागमणि :

क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य- वार व्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इन जिलों के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए नौर्वीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(इ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क)

से (ख) सामान्यतः शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान नहीं की गई है। तथापि राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता दरों वाले जिलों को विशेष रूप से पिछड़े जिलों के रूप में माना गया है जिनको जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला-वार महिला साक्षरता दरें मंत्रालय की वर्ष 1992-93 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में